उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन)

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

संख्याः15737/यू.पी.–रेरा/लोक अदा./2024–25 दिनांकः16 नवम्बर, 2024

प्रेषक,

सचिव,
उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास विकास परिषद।

2– समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।

3– समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उ.प्र.।

विषयः– उ.प्र. लीगल सर्विस अथॉरिटी, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र दिनांक 01–10–2024 द्वारा उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14–12–2024 को आयोजित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में स्थापित पीठों में सुनवाई की जाए एवं इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की सभी पीठों द्वारा ऐसे प्रकरण जिसको पारस्परिक सहमति से समझौता कराकर निस्तारित किया जा सकता है, को लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

2– राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्व की भांति ऑनलाईन माध्यम से आयोजित की जायेगी। दिनांक 14–12–2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित मामलों की सुनवाई ऑनलाईन की जायेगी।

3– राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का प्रचार–प्रसार प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से किया जायेगा। उ.प्र. रेरा के पोर्टल पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के सम्बन्ध में सूचना दी जायेगी। रेरा मुख्यालय लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा के कार्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में बैनर लगाये जायेंगे।

4– राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रारम्भ दिनांक 14–12–2024 को पूर्वान्ह 10.30 बजे दीप प्रज्वलित कर किया जायेगा। तदोपरान्त राष्ट्रीय लोक अदालत 11.00 बजे प्रारम्भ की जायेगी।

5– लोक अदालत के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार के प्रकरणों को निस्तारण हेतु प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हैः–

I. रेरा अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत पीठ के समक्ष दायर की गई शिकायतें जिसमें पारस्परिक समझौता सम्भव हो, या किसी पक्षकार द्वारा समझौते हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया हो।

II. रेरा अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत न्यायनिर्णायक अधिकारी, रेरा के समक्ष दायर की गई शिकायते जिसने सुलह समझौता सम्भव हो, या किसी पक्षकार द्वारा समझौते हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया हो।

III. रेरा अधिनियम के अन्तर्गत निष्पादन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 38/40 के अन्तर्गत वाद जो कि सुलह समझौते के अन्तर्गत निस्तारित हो सकते हैं।

IV. रेरा के कन्सीलिएटर के समक्ष प्रचलित एवं लम्बित प्रकरण जिसमें सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण सम्भव हो, या किसी पक्षकार द्वारा समझौते हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया हो।

V. सचिव रेरा के समक्ष प्रचलित एवं लम्बित प्रकरण जिसमें सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण सम्भव हो।

6– नोडल अधिकारी इस हेतु उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी, यू०पी० स्टेट लीगल सर्विस अथारिटी को सूचित करेंगे कि उ.प्र. रेरा प्राधिकरण में लोक अदालत का संचालन दिनांक 14–12–2024 को किया जायेगा।

7– लोक अदालत के आयोजन के उपरान्त समस्त सूचना उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को नोडल अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

8– राष्ट्रीय लोक अदालत से सम्बन्धित किसी भी सूचना एवं सहायता हेतु पक्षकार उ.प्र. रेरा में स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव।

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव।**</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण कृपया।
2. मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण कृपया।
3. मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्र. रेरा मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, बेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
4. कन्सिलिएशन कन्सलटेन्ट, उ.प्र. रेरा मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
5. सदस्य सचिव, उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन, एनेक्सी लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 01–10–2024 के सदंर्भ में–ईमेलः– upslsa@nic.in ।
6. विधि सलाहकार, उ.प्र भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
7. संयुक्त सचिव/उपसचिव, उ.प्र भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
8. सहायक निदेशक सिस्टम/ सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।

9. अध्यक्ष, क्रेडाई, एन.सी.आर.ईमेलः–credalupsecretaiat@gmail.com अध्यक्ष, क्रेडाई, गाजियाबाद ईमेलः–info@credaighaziabad.org अध्यक्ष, क्रेडाई, वेस्टर्न यू. पी. ईमेलः–info@credalwesternup.org अध्यक्ष, क्रेडाई, उ.प्र. ईमेलः–pksrivastava@credaiup.org/credaiupse/cretaiat@gmail.com प्रेसीडेन्ट नरेडको, उ.प्र. ईमेलः–headoffice supertechlimited.com को अनुपालनार्थ प्रेषित।
10. समस्त प्रोमोटर्स, (उ.प्र. रेरा में रजिस्टर्ड) को अनुपालनार्थ प्रेषित।

15-11-2024

(चन्दन कुमार सिंह)
विधि सलाहकार